

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लाडपुरा, (कोटा)
ज़िला - कोटा
जाति प्रमाण - पत्र



प्रमाणक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /20319142274

दिनांक: 10-12-2020

आवेदक का आधार नम्बर: 733968015029

आवेदक/परिवार के मुखिया का भागाशाह कार्ड संख्या : 1429-D2FM-17713

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ललित पान पुत्र/पत्री श्री दयानिधि पान गांव/नगर 50 उड़ीया बस्ती अब्जय आहुजा नगर, वार्ड न: - 5, कोटा ज़िला/डिवीज़न कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 37 KOLI (37 कोली) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप्ति क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जनजाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागारेंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री ललित पान गांव/नगर 50 उड़ीया बस्ती अब्जय आहुजा नगर, वार्ड न: - 5, कोटा ज़िला / डिवीज़न कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्द्ध वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरिक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-टस्टाकेज़ात के आधार पर जारी किया गया है। टस्टाकेज़ात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खालिक किया जा सकेगा।
4. पार्वी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित टस्टाकेज़ात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी विस्तृत हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. पार्वी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सन्दर्भान् www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online संत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 200331918800

उपखण्ड अधिकारी, लाडपुरा, (कोटा)

Signature valid

Digitally signed by Deepak Mittal
Date: 2020.12.10 15:58:04
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

